477/13 प्रा० पत्र

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए (left) / तारीख हुक्म	गोपी V/S श्रीमती सरन्तु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.3.18	पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिकैन उपस्थित। वास्ते विपक्षीसं. 2 व 3 के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 12.4.18 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ायी जाती है।	
12.4.18	पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिकैन उपस्थित। विपक्षीस. 2 व 3 का जवाब बंद किया जाता है। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 26.4.18 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ायी जाती है।	
11.5.18	पत्रावली ……नायोर……को पेश हुई। आगामी दिनांक……13-7-18……को पेश हो। पूर्व का आदेश यथावत रहेगा।	
12.7.18	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 16.8.18 को पेश हो। पूर्व का आदेश यथावत रहेगा। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्ड०	
16.8.18	पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिकैन उपस्थित, उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गई, वादीअधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा नही मिली तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। मैंने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. के तहत मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा